विधि विभाग

परिपत्र

हमारा संदर्भ : विधि/9/274/2018

28 मई 2018

विषय : बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार प्रवर्तन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोफार्मा/प्रपत्रों में संशोधन ।

सभी संबंधितों के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाता है कि क्रमशः दिनांक 12 अक्तूबर 2017 और 13 अक्तूबर 2017 को नए बीआईएस अधिनियम 2016 और बीआईएस नियम 2017 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, बीआईएस के प्रवर्तन कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित प्रोफार्मी/प्रपत्रों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किए गए है:

- बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15 के तहत तलाशी और जब्ती कार्यों को (i) करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना;
- बीआईएस अधिनियम,2016 के प्रवाधान के तहत जांच, तलाशी और जब्ती कार्यों (ii) को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
- ्बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधान के तहत तलाशी और जब्ती करने के लिए (iii) बीआईएस जांच दल के बचाव / सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को ब्यौरा देने के लिए पुलिस प्राधिकारियों को पत्र:
- जब्ती मीमो (iv)
- तलाशी और जब्ती कार्य (सुपुर्दगी मीमो); और (v)
- उपस्थिति शीट (vi)

2. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि प्रवर्तन कार्य में बीआईएस की आवश्यकता/स्थिति के अनुसार उपर्युक्त प्रोफार्मा/प्रपत्र का प्रयोग करें।

संलग्नक: यथोपरि

(तिलक राज)

1510mans 134

Scanned by CamScanner

निदेशक(विधि)

बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी विभागों / अनुभागों / सीएल-साहिबाबाद / एनआईटीएस / क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालयों/निरीक्षण कार्यालय के सभी विभागों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित।

हमारा संदर्भ :	दिनांक
विषय : जांच, तलाशी और जब्ती कार्यों को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राधिकृत करना।	अधिकारियों को
मैसर्स	
•••••••	

महोदय,	
बीआईएस के पास प्रामाणिक जानकारी और कारण है कि बीआई	एस अधिनियम
2016 की धारा 15 के उल्लंघन में आपके परिसर में सोने के आभूषणों पर ह	
म्हर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बीआईएस अधिनियम, 2016	

- तहत दंडनीय है।
 2. इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को आपके परिसर में
 तलाशी और जब्ती कार्यवाही करने के लिए बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत
 अधिकार दिया गया है और किसी भी ऐसी वस्तु या माल या सामग्री या दस्तावेज को जब्त
 कर सकता है, जो बीआईएस अधिनियम, 2016 और प्रमाणन अधिकारी की राय में कार्यवाही
 के लिए उपयोगी या उससे संबंधित हो।
- 3. मैं तलाशी एवं जब्ती से सबंधित आपराधिक विधि संहिता, 1973 (1974 का 2) के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार बीआईएस के निम्नलिखित अधिकारियों की टीम को को आपके परिसर में तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।
- 4. आपको सलाह दी जाती है कि जांच टीम को पूर्ण सहयोग दें और उनके कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता करें।

धन्यवाद,

	भवदीय,
प्रमुख(.)

प्रमुख(.....)

Scanned by CamScanner

धन्यवाद,

हमारा संदर्भ :	
	देनांक :
विषय : बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत तलाशी एवं चलाने के लिए बीआईएस की जॉच टीम की रक्षा/सुरक्षा के लिए कार्सिक नियुक्त करने हेतु अनुरोध के संबंध में।	जब्ती अभिया हथियारबंद पुलि
सहायक आयुक्त पुलिस	
महोदय,	
आपको विदित होगा कि बीआईएस से वैध लाइसेंस लिए बिना मानक बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है, रि अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।	मुहर का प्रयोग जेसके लिए इस
2. हमारे पास स्रोतगत सूचना होती है कि आपके क्षेत्राधिकार के तहत फैक्टरी/दुकान में मानक मुहर का दुरूपयोग किया जा रहा है । मानक दुरूपयोग बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 11, 14(6) या 14(8), 15, है, जो कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 26 के तहत सजायोग्य है अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत बीआईएस के अधिकारी तलाशी करने की सख्ती रखते हैं । तदनुसार, दिनांक को विस्तृत उपवं जब्ती ऑपरेशन की योजना बनाई गई है तथा जिसके लिए निम्नलिखित टीम छापे मारने/जॉच/तलाशी एवं जब्ती करने के लिए बनाई गई है :	महर का ऐसा 17 का उल्लंघन तथा बीआईएस एवं जब्ती/जॉच
i)ii)	
3. जॉच अधिकारियों की टीम की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित बीआईएस का आपसे अनुरोध है कि कृपया* हथियारबंद पुलिस कार्ग महिला पुलिस कार्मिकों सहित टीम की सहायता करने हेतु तैनात करें बहुत ही गोपनीय है और इस सूचना को किसी प्रकार की लीकेज होने से दुरूपयोग के तहत उत्पाद को गोपनीय रखा जा रहा है और प्रकट नहीं किया र	र्मिक एवं *। । चूंकि, मामला

4. इस संदर्भ में यह दर्शाना उपयुक्त होगा कि बीआईएस नियमित आधार पर गत वर्षों में पुलिस से ऐसा सहयोग एवं सहायता प्राप्त हो रही है, जो जनहित में बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। धन्यवाद,

भवदीय,

Scanned by CamScanner

* अपेक्षित पुलिस कार्मिकों की संख्या सेवा में : स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ)

हमारा	संदर्भ
(,,)) ()	VIGOT

दिनांक :

विषय: जब्ती ज्ञापन

दिनांक ------ को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अनुसरण में मैं. ------- के परिसर की तलाशी की गई और किसी वैध लाइसेंस/प्राधिकरण के बिना बीआईएस मानक मुहर का दुरूपयोग करते हुए पाया गया तथा निम्नलिखित सामग्रियाँ जब्त की गईं:

क्रमांक	मानक मुहर में विशेष संदर्भ सहित मुहरांकन के विवरण के साथ जब्त की गई सामग्री/दस्तावेजों के ब्यौरे	मात्रा	पहचान चिन्ह
1	2	3	4

उक्त सामग्री निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में जब्त एवं मुहरांकित की गई है।

साक्षी

प्रमाणन अधिकारी/अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

1.

2.

(तलाशी के उपरांत इस पत्र को प्राप्त करने के लिए ली गई तलाशी वाले परिसरों के प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम एवं पता)

हमारा संव	दर्भ :	•				
विषय :	विषय : दिनांक को तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन					
	***************************************	1 4 4 1 9 1				
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		*			
•••••••	***************************************					
महोदय,						
जब्ती ज्ञ	ोआईएस अधिनियम, 2016 के उपबंधों के तहत तल ापन संख्या दिनांकित - । पूर्वोक्त परिसरों से आज नीचे दिए गए अनुसार वस्तु		- पर			
जब्त की अन्य स	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 ो गई हैं। यह अधिनियम बीआईएस के अधिकारियों को ामग्री एवं दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति प्रदान कर यम के तहत किसी प्रकार की कार्यवाहियाँ करने से संबंधि	ऐसी वस्तुएँ ता है, जो उन	या सामान तथा की राय में इस			
क्रमांक	मानक मुहर में विशेष संदर्भ सहित मुहरांकन के विवरण के साथ जब्त की गई सामग्री/दस्तावेजों के ब्यौरे	मात्रा (लगभग)	पहचान चिन्ह			
1	2	3	4			
3. आपके अपने हित में आपको एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी (प्रमाणन अधिकारी) की पूर्वानुमित को छोड़कर उक्त विवरणित जब्त की गई वस्तु को या उसके भाग को न हटाएँ और न ही कोई अन्यथा निपटान करें । कृपया यह ध्यान दें कि आपकी ओर से ऐसी कोई कार्यवाही न हो, जिससे बीआईएस अधिनियम, 2016 और विश्वास भंग/आपराधिक धमकी हेतु आईपीसी, 1860 की धारा 506 का आगे उल्लंघन न हो । प्रमाणन अधिकारी का नाम : पदनाम :						
(तलाशी	के बाद इस पत्र को प्राप्त करने वाले परिसरों के व	यक्ति, स्वाम	ी/सहभागी/मालिक			

/कर्मचारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता)

मारताय मानक ह्यूरी
()
हमारा संदर्भ : तलाशी एवं जब्ती की तिथि :
निम्नलिखित की उपस्थिति मेंएरसर में तलाशी एवं जब्ती की गई।
<u>उपस्थिति शीट</u>

बीआईएस कार्मिक

क्रमांक	नाम	विभाग	पदनाम	हस्ताक्षर

पुलिस कार्मिक

क्रमांक	नाम	पुलिस स्टेशन	पदनाम	हस्ताक्षर
				,
			•	

स्वतन्त्र साक्षी

क्रमांक	फर्म का नाम सहित नाम	पता	पदनाम	हस्ताक्षर

LEGAL DEPARTMENT

CIRCULAR

Our Ref: Law/9/274/2018

Date: 28 May 2018

Subject:

Revised of Proformae/forms for use in Enforcement Operations as perBIS Act. 2016:

It is circulated for information and necessary action by all concerned that consequent upon Notification of the new BIS Act 2016 and BIS Rules 2017 w.e.f. 12 Oct, 2017 and 13 Oct 2017 respectively, the following Proformae/forms have been revised with approval of the Competent Authority for use in Enforcement Operations of BIS:

- (i) Authorization of BIS Certification Officers to conduct Search & Seizure operation under Section 15 of BIS Act, 2016;
- (ii) Authorization of BIS Certification officers to conduct investigation, Search & Seizure under the provision of BIS Act, 2016;
- (iii) Letter for police authorities for detailing the Armed Police Personnel for protection/ safety of BIS Investigating Team (s) to conduct Search & Seizure under the provision of BIS Act, 2016;
- (iv) Seizure Memo;
- (v) Search & Seizure Operation (Superdari Memo); and
- (vi) Attendance Sheet.

2. Heads of all Regional Offices/Branch Offices are advised to use the above Proformae/forms according to the need/situation of BIS in the Enforcement Operations.

Encl: as above

Director (Legal)

Scanned by CamScanner

Circulated for information and necessary action to all Departments/Sections at BIS HQs, New Delhi/CL-Sahibabad/NITS/Regional Offices/Branch Offices/Inspection Offices



Our Ref:		Date:
	Authorization of BIS Certification Officers to conduse search & Seizure	ct investigation,
M/s		
111111111111111111111111111111111111111		
Dear Sir	r(s),	
AA 1. /1	RIS has authentic information and reason to believe that misuse Hallmark) has been taking place on Gold Jewellery in your premi In 15 of BIS Act, 2016, which is punishable under Section 29	262 III AIDICITION .
been e operati which	In this context, it is worth mentioning that the BIS Certificat empowered under Section 28 of BIS Act, 2016 to carry out ion at your premises and seize any such goods or article or mat the Certification Officer may consider in his opinion to be use oceeding and BIS Act, 2016.	erial or document
seizure	I hereby authorize the team of following BIS officers to a contract of the selevant provisions at your premises onas per the relevant provisions 1973 (2 of 1974) relating to search & seizure.	conduct search & of Cr. Procedure
	You are advised to extend full co-operation to the investigating to carry out its duties.	g team and assist
	Thanking you,	faithfully,
	Head	()

Our Ref:					
	Authorization of BIS Operation	S Certification	Officers to c	onduct sec	ate:arch & seizur
M/s	••••••				

***************************************	\				
Dear Sir	`(s),				
violation 2.	IS has reason to believe king place on n of Section 11, 14(6) or hereby authorize the ake investigation, search	14(8), 15, 17 of investigating to	BIS Act, 2016.	in your proof following	remises in
į)				
· .	i) ii)				
3. them in	You are requested to ext n performance of their di	tend full co-oper uties.	ation to the inv	restigating ·	team and help
	Thanking you,				
				Yours faitl	hfully,
				Head (

^			Date
Subject:	Request for detailing the Armed Police Investigating Team(s) to conduct Sea Act, 2016- regarding		
The Assis	stant Commissioner of Police		
Dear Sir,			
WITHOUT	ou may be aware that under the provision a valid Licence from BIS is an offence under this Act.	ns of BIS Act, 2016, use for which stringent punis	of Standard Mark shment have been
tactory/ violation under S Search investige	/e have source information that misus Shop situated in the area under your juri of Sections 11, 14(6) or 14(8), 15, section 29 of BIS Act, 2016 and BIS at Seizure/Investigation under Section at Seizure at a seizure operation has gream of officers has been constituted ii.	sdiction. Such misuse of S 17 of BIS Act, 2016, wh fficers have been empowed 28 of BIS Act, 2016. Acc 3 been planned on	hich is punishable ered to carry out cordingly, detailed and for which the
BIS real personn likely le	In order to ensure personal protection and quest you to kindly deploy *armed el to assist the team. As the matter is of takage of this information, the product un is being kept confidential and is not being	police personnel including high confidentiality and in der misuse and the name a	* lady police order to avoid any nd address of the
assista	In this context, it is worth mentioning that nce from the Police in the past on a regated in the larger public interest.	BIS has been receiving sucular basis, which is highly	ch cooperation and commendable and
	Thanking you,	Yours faith	ifully,
*numbe	r of required police personnel	Head (
Copy T	o: Station House Officer (SHO) -		

Our Ref:

Dated

Subject: SEIZURE MEMO

In pursuance of Section 28 of Bureau of Indian Standards Act, 2016, a search at the premises of M/s......was carried out onand was found to be misusing the BIS Standard Mark without any valid licence/authorization and was seized the following materials:

SI. No.	Description of the Material/Documents seized with	Quantity	Identifica
	details of marking with specific reference in Standard Mark		tion Mark
(1)	(2)	(3)	(4)

The above material has been seized and sealed in the presence of the following persons:

WITNESSES:

Name & Signature of the Certification Officer(s)

1.

2

(Signatures, name and address of the person In-charge of the premises searched for receiving this letter after search).

bject	Search & Seizure Operation on	D	ate:
	•••••••••		

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••••		
r,			
ut sea	The article(s) as detailed below have been seized as vide Seizure Memo No	hrs (Time Act, 2016. ction 28 of fication Of	the Bureau of ficer(s) to seize
SI, No.	Description of the Material/Documents seized with details of marking with specific reference in Standard Mark	Quantity (Approx.)	Identification Mark
(1)	(2)	(3)	(4)
3	You are hereby advised in your own interest, th	at the seiz	rad antiala(a) a

r emise	Search & Seizure:s s at which the Search & se of following persons:	Cai	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	in the
		ATTENDANCE SHEE		
Sr. No.	Name	Department	Designation	Signature
	l .	l .		
POLICI Sr. No.	E PERSONNEL Name	Police Station	Designation	Signature
Sr.		Police Station	Designation	Signature
Sr. No.		Police Station	Designation	Signature

Bureau of Indian Standards